बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्सः– 0612–2215611/2215978
ई–मेलः– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 24 मई, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर–शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि आगामी 25 मई एवं 01 जून, 2024 की तिथियों में बिहार में क्रमेण छठे एवं सातवें चरण में पड़ने वाले आठ–आठ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन की तिथियाँ नियत हैं। तदनुसार छठे चरण में दिनांक 25 मई को वाल्मीकिनगर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज–अ0जा0, सिवान तथा महाराजगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में और सातवें चरण में दिनांक 01 जून को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम–अ0जा0, काराकाट तथा जहानाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं।

ज्ञातव्य है कि आज दिनांक 24.05.2024 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में The State Steering Committee on Accessible Election (SSCAE) की बैठक आहूत थी। विदित हो कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में राज्य स्तर पर The State Steering Committee on Accessible Election (SSCAE) का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य मतदान में PwD निर्वाचकों के भागीदारी की चुनौतियों एवं समस्याओं के समाधान पर गंभीरता से विचार किया जाना है। बैठक में PwD मतदाताओं के लिए निर्वाचन में सहज एवं सुगम भागीदारी हेतु प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं यथा–आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं (पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, व्हील चेयर, रैम्प इत्यादि), वॉलन्टियर, पिक–अप एवं ड्रॉप–ऑफ सुविधा, 1950 वोटर हेल्पलाईन एवं सक्षम ऐप से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। मतदान के दिन जिला प्रशासन, पटना के सहयोग से मतदाताओं को बूथ पर आने एवं ले जाने हेतु उपलब्ध कराई जा रही रैपीडो सेवा, विभिन्न रेस्टोरेन्ट, सिनेमा हॉल इत्यादि के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे ''डेमोक्रेसी डिस्काउन्ट'' के बारे में भी जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई।

उल्लेखनीय है कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत वाहन दुरूपयोग के संदर्भ में गोपालगंज जिलांतर्गत एक (01) मामला प्रतिवेदित है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के तहत भागलपुर जिलांतर्गत एक (01) मामला प्रतिवेदित है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में नौ (09) मामले प्रतिवेदित हैं जो क्रमेण इस प्रकार हैं–पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत छः (06) एवं सहरसा जिलांतर्गत तीन (03)। इस संदर्भ में नौ (09) एफआईआर दर्ज हैं। बक्सर जिलांतर्गत निर्वाचक को प्रलोभन पहुँचाने के संदर्भ में एक (01) मामला प्रतिवेदित है।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 23.05.2024 को कुल **₹2.11600**(लाख) रूपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लीकर–14082.75(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य **₹27.75966**(लाख) रूपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल **₹3.89425**(लाख) रूपये मूल्य के 5258.03(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल **₹21.29878**(लाख) रूपये मूल्य की 7005.00 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल **₹55.06869**(लाख) रूपये मूल्य की जब्ती प्रतिवेदित है।